

भाग – IV / Part – IV

अनुबंध - I / ANNEXURE – I

फॉर्म डीएन – 1

Form DN-1

(कटे – फटे नोटों के लिए टोकन)

(Token for mutilated notes)

मूल प्रति (प्रस्तुतकर्ता के लिए)

Original (For the tenderer)

(बैंक का नाम)

(Name of the Bank)

क्रम. सं.

Sr. No.

(शाखा का नाम)

(Name of Branch)

तारीख

Date

नोट (NOTE)	संख्या (PIECES)	मूल्य (VALUE)	
		रु.	Rs.
1/-			
2/-			
5/-			
10/-			
20/-			
50/-			
100/-			
200/-			
500/-			
2000/-			
जोड़: TOTAL			

प्राप्तकर्ता के आद्याक्षर

Receiver's Initials

(i) यह टोकन भुगतान के लिए उसी दिन प्रस्तुत किया जाये ।

This token should be produced for payment on the same day.

(ii) प्रस्तुतकर्ता टोकन के पीछे अपना नाम व पता लिखें ।

Tenderer should write his name and address on the reverse of the token.

(iii) अस्वीकृत नोट प्रस्तुतकर्ता को लौटाये नहीं जायेंगे ।

Notes rejected shall not be returned to the tenderer

फॉर्म डीएन – 1
Form DN-1

(कटे – फटे नोटों के लिए टोकन)
(Token for mutilated notes)

दूसरी प्रति (बैंक के लिए, नोटों के साथ रखी जानी है)
Duplicate (For the bank to be kept with the notes)

(बैंक का नाम) (Name of the Bank)	क्रम. सं. Sr. No.
(शाखा का नाम) (Name of Branch)	तारीख Date

नोट (NOTE)	संख्या (PIECES)	मूल्य (VALUE)	
		रु.	Rs.
1/-			
2/-			
5/-			
10/-			
20/-			
50/-			
100/-			
200/-			
500/-			
2000/-			
जोड़: TOTAL			

अदा करे PAY नियत अधिकारी Prescribed Officer	आधा मूल्य अदा करे PAY HALF VALUE नियत अधिकारी Prescribed Officer
---	---

प्राप्तकर्ता के आद्याक्षर Receiver's Initials	अस्वीकृत करे REJECT नियत अधिकारी Prescribed Officer
---	--

(i) यह टोकन भुगतान के लिए उसी दिन प्रस्तुत किया जाये ।

This token should be produced for payment on the same day.

(ii) प्रस्तुतकर्ता टोकन के पीछे अपना नाम व पता लिखें ।

Tenderer should write his name and address on the reverse of the token.

(iii) अस्वीकृत नोट प्रस्तुतकर्ता को लौटाये नहीं जायेंगे ।

Notes rejected shall not be returned to the tenderer.

प्राप्त, अदा किये गये और अस्वीकृत कटे – फटे नोटों का रजिस्टर
Register of mutilated notes received, paid and rejected

तारीख Date	टोकन सं. Token No.	प्राप्त Receipt		नोट जिनका पूरा मूल्य अदा किया गया (नोटों की संख्या) NOTES PAID FOR FULL VALUE (Number of Pieces)												नोट जिनका आधा मूल्य अदा किया गया (नोटों की संख्या) NOTES PAID FOR HALF VALUE (Number of Pieces)						अस्वीकृत नोट Notes Rejected	
		कुल नोट	मूल्य	1	2	5	10	20	50	100	200	500	2000	T.Ps	Value	50	100	200	500	2000	T.Ps	Value	T.Ps

अद्याक्षर अदाकर्ता लिपिक Initials of Paying Clerk	लेखाकार Acctt.	पूरा मूल्य अदा किये गये नोटों को नष्ट करने की तारीख Date of Destruction of full value paid notes	अद्याक्षर Initials of			अस्वीकृत नोट / आधा मूल्य अदा किये गये नोटों को नष्ट करने की तारीख Date of Destruction of half value paid/rejected notes	अद्याक्षर Initials of			टिप्पणी Remarks
			नियत अधिकारी Prescribed Officer	उप को./ प्र. Dy. TR/ Mgr.	प्र. / स.म.प्र Mgr/AGM		नियत अधिकारी Prescribed Officer	उप को. / प्र. Dy. TR/ Mgr.	प्र. / स.म.प्र Mgr/AGM	

फॉर्म डीएन - 3

Form DN-3

(बैंक/ शाखा का नाम)

(Bank / Branch Name)

केस सं. डी. एन ---

Case No. DN of ---

तारीख :

Dated:

श्री / श्रीमती

Shri / Smt. _____

प्रिय महोदय / महोदया ,

Dear Sir / Madam

कटे- फटे नोटों पर दावा

Claim on Mutilated notes

हम यह सूचित करते हैं कि आपने मूल्य की अदायगी के लिए, जो निम्नलिखित नोट प्रस्तुत किए थे उनकी अदायगी नहीं की जा सकती, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली के अंतर्गत ऐसे दोषपूर्ण नोटों का भुगतान करने के लिए जो शर्तें अपेक्षित हैं वो पूरी नहीं होतीं ; देखे नीचे की मद सं.

We advise that the under mentioned notes tendered by you for payment of value cannot be paid as the conditions under which payment can be made on such defective notes under the Reserve Bank of India (Note Refund) Rules are not satisfied vide items (s) -----below :

(नोट के ब्योरे और मूल्यवर्ग हाशिये में दिये गये हैं)

(Details of pieces and denomination are shown in the margin)

(अस्वीकृति के कारण)

(Reason for rejection)

(क) यह/ ये नोट, वास्तविक नोट/ नोटों के रूप में नहीं पहचाना जाता/ पहचाने जाते, जिसके/ जिनके भुगतान के लिए बैंक जिम्मेदार है – नियम 6(3)(i)

(A) Notes (s) cannot be identified as genuine note (s) on which the Bank is liable to pay – Rule 6(3) (i).

(ख) नोट इस प्रकार व्यवहार में लाया गया है/ लाए गए हैं (जरूरी नहीं कि दावेदार द्वारा व्यवहार में लाए गए हों) कि नियम 6(3) (ii) के अंतर्गत उसे/ उन्हें अस्वीकृत करना पड़ा।

(B) Note (s) seem (s) to have been dealt with (not necessarily by claimant) in such manner as to entail rejection under Rule 6(3) (ii).

(ग) नोट/ नोटों पर अनावश्यक शब्द लिखे गए हैं, जो कि राजनैतिक स्वरूप का संदेश देते हैं या उनसे ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है --- नियम 6(3) (iii)

(C) Notes carry/ carries extrinsic words of visible representations intended to convey or capable of conveying message of political character – Rule 6(3) (iii).

(घ) लगता है कि नोट गैर कानूनी रूप से भारत में लाया गया है/ लाए गए हैं – नियम 6(3) (iv)

(D) Note (s) appear (s) to have been illegally imported into India – Rule 6(3) (iv).

(ङ) निर्दिष्ट अधिकारी/ बैंक द्वारा मांगी गई जानकारी दावेदार ने निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं की – नियम 6(3)(v)

(E) Information called for by the prescribed Officer/ Bank not furnished by claimant within stipulated period – Rule 6(3) (v).

(च) प्रस्तुत किया गया/ किए गए सरकारी नोट नियम 2 में दी गई शर्त पूरी नहीं करता/ करते।

(F) Government Note (s) presented does/ do not satisfy the conditions stipulated in Rule2.

(छ) बीस रुपए तक के मूल्यवर्ग के प्रस्तुत किए गए नोट का सबसे बड़ा अविभाजित क्षेत्र उस नोट के क्षेत्र के 50% के बराबर या उससे कम है | नियम 8(1) (ii)

(G) The area of the largest undivided piece of the note presented is less than or equal to 50% of the area of the note upto Rs. 20/- denomination – Rule 8(1) (ii).

(ज) पचास रुपए और उससे अधिक मूल्यवर्ग के प्रस्तुत किए गए नोट का सबसे बड़े अविभाजित क्षेत्र संबंधित मूल्यवर्ग के नोट के क्षेत्र के 40% से कम है – नियम 8(2) (iii)

(J) The area of the single largest undivided piece of the note is less than 40% of the area of the respective denomination for the note of Rupee Fifty and above – Rule 8(2) (iii).

(झ) प्रस्तुत किए गए दोनों टुकड़ों में से कोई भी टुकड़ा नियम 8(1) (i) के अनुसार निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र को पूरा नहीं करता है – नियम-9 (ख)

(I) None of the two pieces presented meets the minimum area stipulated as per the Rule 8(1)(i) – Rule 9 (b).

(ज) नियम 8(2) (ii) के अनुसार नोट के अंकित मूल्य का आधा मूल्य ही अदा किया गया है।

(J) Only half of the face value of the note(s) is paid in terms of Rule 8(2) (ii).

2. अस्वीकृत नोट इस कार्यालय में रख लिया गया है/ लिए गए हैं और यथासमय नष्ट कर दिया जाएगा/ कर दिए जाएंगे अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 2009 के नियम 11 के अनुसार अन्य प्रकार से निपटाया जाएगा/ निपटाए जाएंगे।

2. The rejected note(s) has/ have been retained in this office and will in due course be destroyed or otherwise disposed of in terms of Rule 11 of the Reserve Bank of India (Note refund) Rules 2009.

भवदीय

Yours Faithfully

शाखा प्रबंधक के लिए

For Branch Manager

नोट: (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 के नियम 10(2) के अनुसार किसी भी प्रकार के दावे के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

Note: (i) In terms of Rule 10(2) of Reserve Bank of India (Note refund) Rules, 2009 the decision of the Prescribed Officers or the Bank in regard to any claim shall be final.

(ii) नियम 11(ब) में दिए गए उपबंध को छोड़कर अन्य स्थितियों में, भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 के अंतर्गत प्रस्तुत कोई भी दोषपूर्ण नोट बैंक अपने पास रख लेगा और भुगतान के पश्चात किसी भी समय अथवा दावा अस्वीकृत करने की तारीख से 3 महीने

की समाप्ति के बाद, जैसा भी मामला हो, नष्ट कर देगा या अन्य प्रकार से निपटान करेगा।

(ii) Save as provided in Rule 11(b), any defective note presented under Reserve Bank of India (Note refund) Rules, 2009 shall be retained by the Bank and destroyed or otherwise disposed of at any time after payment or on the expiry of period of 3 months from the date of rejection of the claim as the case may be.